—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 32/2021

उनवान

राधादेवी पुत्री हरिराम जाति गुर्जर नि0 नान्दला, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. नारायण पुत्र देवा
2. राधा पत्नी नारायण, जाति गुर्जर, नि0 नान्दला, नसीराबाद
3. मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, बाघसुरी, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 5/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के खाता संख्या 786/953 किता 6 रकबा 0.75 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी कदीम से काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने लगभग 1 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 1617 पर अवैध कब्जा करते हुये फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उलाहना देने पर उनके द्वारा 1 माह में भूमि खाली करने का आश्वासन दिया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आज दिवस तक जमीन से अतिक्रमण नही हटाया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा प्रार्थी के कबजे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा भूमि को अन्यत्र बैचान हस्तांतरण कर हडपने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. बाडा पर जवाबकर्ता आवासीय रूप में कच्चा मकान व झौपडी बनाकर 50 वर्ष पूर्व से निवास करते आ रहे है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर जानवर बांघते है, गोबर की रोडी डालकर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक का होने के कारण समय सीमा से बाधित है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का मालिकाना हक निहित है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:03 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम नान्दला के खाता संख्या 786/953 किता 6 रकबा 0.75 की आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी में से हाल खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. बाडा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 31.6.20 को अवैध कब्जा कर लिया है। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। अप्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 1617 पर आवासीय रूप में कच्चा मकान व झौपडी बनाकर 50 वर्ष पूर्व से निवास करते आ रहे है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर जानवर बांघते है, गोबर की रोडी डालकर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक का होने के कारण समय सीमा से बाधित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा 1 वर्ष पूर्व कब्जा किया है किन्तु कब्जे की अवधि व वैधानिकता के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। प्रार्थी द्वारा मूल वाद अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु पेश किया है। प्रार्थी के कथन अनुसार आराजी मुतनाजा पर दिनांक 31.6.20 से अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा का बैचान अप्रार्थीगण द्वारा नही किया जा सकता आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1617 रकबा 0.06 किस्म गै.मु. बाडा की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:03 IST
Reason: SelfAttested